न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

पीठासीन अधिकारी : **सत्येन्द्र सिंह चौहान, आर.जे.एस**
प्रकरण संख्या : **1081/2012 रै.फौ.**
सी.आई.एस. नं. : **1440/2019**
निर्णय दिनांक : **20.11.2025**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**358/2010**, **पीएस हरमाड़ा**, जिला जयपुर, राज.
अपराध अन्तर्गत धारा **454, 380, 411, 120बी भारतीय दंड संहिता**

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**01. ललित पुत्र श्री कजोड़मल, निवासी ग्राम खण्डवा, पुलिस थाना निवाई टोंक, हाल प्लॉट नंबर 23, शांति बिहार कॉलोनी। (फौत)** **02. मंगल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी बजरिया फाटक के पास सवाई माधोपुर, पुलिस थाना मैनटाउन हॉल मकान नंबर 31। (मफरूर)** **03. कन्हैयालाल पुत्र श्री कल्याण लाल, निवासी ग्राम कोटखावडा मोड़, पुलिस थाना चाकसू, जयपुर ग्रामीण** **04. विनोद कुमार पुत्र श्री छगन, निवासी वार्ड नंबर 15, इच्छेश्वर कॉलोनी चाकसू, जयपुर ग्रामीण। (फौत)** **05. मोनू पुत्र श्री कल्याण सहाय, निवासी प्रेमपुरा, पुलिस थाना लालसोट, हाल बैरवा कॉलोनी, पुलिस थाना सांगानेर।**
अभियुक्त मोनू प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री **रोशन वर्मा**
अभियुक्त कन्हैयालाल प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री **सुनील उप्पल**

B

अपराध की दिनांक	**12-08-2010**
एफ.आई.आर. की दिनांक	**13-08-2010**

आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक		**29-11-2010**
आरोप सुनाए जाने की दिनांक		**12-08-2011**
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		**20-11-2025**
निर्णय सुनाने की दिनांक		**20-11-2025**
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	**-**

अभियुक्त/अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीविक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि
01	मोनू	—	—	454, 380, 120बी भारतीय दंड संहिता	—	—	—
02	कन्हैयालाल	—	—	411 भारतीय दंड संहिता	—	—	—

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) **अभियोजन साक्षी**

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	भंवर सिंह	औपचारिक गवाह
PW-2	द्वारका प्रसाद	नक्शा मौका
PW-3	अजीत सिंह	नक्शा मौका
PW-4	कमला खंडेलवाल	औपचारिक गवाह
PW-5	पवन खंडेलवाल	परिवादी
PW-6	मनवीर	फर्द गिरफ्तारी
PW-7	मनीराम	फर्द जप्ती
PW-8	बच्चु सिंह	फर्द गिरफ्तारी
PW-9	रामसिंह	फर्द जप्ती
PW-10	धर्मवीर सिंह	चार्जशीट

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01	प्र.पी. 1	लिखित रिपोर्ट
02	प्र.पी. 2	चाक एफआईआर
03	प्र.पी. 3	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्र.पी. 4	फर्द बरामदगी
05	प्र.पी. 5	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
06	प्र.पी. 6	फर्द गिरफ्तारी कन्हैयालाल
07	प्र.पी. 7	फर्द गिरफ्तारी ललित
08	प्र.पी. 8	फर्द गिरफ्तारी मंगल सिंह
9	प्र.पी. 9	नक्शा मौका निशादेही घटनास्थल
10	प्र.पी. 10	फर्द बरामदगी
11	प्र.पी. 11	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
12	प्र.पी 12	फर्द गिरफ्तारी विनोद कुमार
13	प्र.पी. 13	फर्द गिरफ्तारी मोनू उर्फ मोहन

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01	प्र.डी. 1	पुलिस बयान पवन खंडेलवाल

–::निर्णय::– **दिनांक 20.11.2025**

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी पवन खंडेलवाल ने एक लिखित रिपोर्ट एक आशय की पेश की कि दिनांक 12.08.2010 को वे उनके भाई के घर, जो कि शास्त्रीनगर में रहते हैं, वहां गए थे तथा प्लॉट पर ताले लगाकर गए थे एवं जब वे शाम को लगभग 7 बजे वापस लौटे तो उन्हें उनके घर के ताले व सभी अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले व सारा सामान बिखरा

पड़ा था एवं जब उन्होंने देखा तो पता लगा कि उनकी कई कीमती चीजें व नकदी वहां से गायब थीं.........इत्यादि।

02. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हरमाड़ा द्वारा एफआईआर संख्या 358/2010 अंतर्गत धारा 454, 380 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. ललित, 2. मंगल सिंह, 3. विनोद, 4. मोनू उर्फ मोहन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 454, 380, 120बी भारतीय दंड संहिता व अभियुक्त कन्हैयालाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 454, 380, 120बी, 411 भारतीय दण्ड संहिता में में न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 454, 380, 411, 120बी भा.द.स. में प्रसंज्ञान लिया गया।

03. अभियुक्तगण 1. ललित, 2. मंगल सिंह, 3. विनोद, 4. मोनू उर्फ मोहन को अपराध अंतर्गत धारा 454, 380, 120बी भारतीय दंड संहिता में तथा अभियुक्त कन्हैयालाल को अपराध अंतर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पृथक से विरचीत कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

04. प्रकरण के अभियुक्तगण ललित व विनोद की तस्दीकशुदा फौतगी रिपोर्ट कमशः आदेशिका दिनांक 18.12.2024 व 06.03.2018 को पेश होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

05. प्रकरण के अभियुक्त मंगलचंद को आदेशिका दिनांक 11.08.2025 को मफरूर घोषित किया गया।

05. अपराध अंतगर्त धारा 313 दण्ड संहिता 1973 के तहत अभियुक्तगण के बयान मुलजिम लेखबद्ध किये गये। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य से इनकार कर, साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने से इनकार किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई।

07. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियक्त मोनू उर्फ मोहन के विरुद्ध अपराध धारा 454, 380, 120बी भारतीय दंड संहिता तथा अभियुक्त कन्हैयालाल के विरुद्ध

अपराध धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08. मुल्जिम मोनु के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध कर कथन किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त मोनु से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई। अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अतः दोषमुक्त किया जावें।

09. मुल्जिम कन्हैयालाल के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध कर कथन किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। कन्हैयालाल के पास से दो जोड़ी चांदी की पुरानी इस्तेमाली पायजेब बरामद होना बताया है, परन्तु कन्हैयालाल स्वयं सुनार की दुकान करता है। उसकी दुकान पर पायजेब की जोड़ी होना कोई अस्वाभाविक नहीं है तथा उक्त पायजेब की जोड़ी अनुसंधान अधिकारी द्वारा शिनाख्त भी नहीं करवायी गयी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण में अपराध साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जावें।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, सुसंगत अभिलेख व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

11. न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

(1) क्या आरोपित अभियुक्त ने दिनांक 12.08.2010 को दिन के समय आपराधिक षड्यंत्र के तहत अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके सदस्य के रूप में परिवादी पवन खण्डेलवाल के मकान स्थित प्लाट नंबर 15/16, उषा कॉलोनी, न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़, जयपुर में चोरी करने के आशय से घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कर मकान से सोने व चांदी के जेवरात व 25,000/– रुपये बिना फरियादी की सहमति के बदनियतिपूर्व चोरी की।

(2) क्या आरोपित अभियुक्त कन्हैयालाल ने विनोद, मोनू, मंगल सिंह, ललित से चोरी के जेवरात यह जानते हुए कि वे चोरी के है को प्राप्त कर कब्जे में रखा ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जाये ?

12. विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में यदि सर्वप्रथम रिपोर्टकर्ता पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 12.08.2010 की बात है। वह परिवार सहित मकान का ताला लगाकर शास्त्री नगर गए हुए थे। शाम को पड़ोसी बद्री ने फोन किया कि आपके घर के ताले टूट गए हैं घर में चोरी हो गई हैं। एक मंगल सूत्र, चार अंगूठियां, 25,000 / – रूपये नकद थे। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन प्रातः दर्ज कराई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श–1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घर पर आकर नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उनका सामान चाकसू के पास किसी गांव से बरामद किया गया था। वक्त बरामदगी प्रदर्श–4 नक्शा मौका बनाया, प्रदर्श पी–5 नक्शा बरामदगी बनाया। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसने चोरी के सामान के स्वामित्व का कोई बिल पुलिस को नहीं दिया। पी. डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल अपनी साक्ष्य में बताता है कि दिनांक 12.08.2010 को वह तथा उसकी पत्नी सहित मकान के ताला लगाकर शास्त्री नगर गये थे। सांय को पड़ोसी बद्री ने फोन किया कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, घर में चोरी हो गयी। पवन की पत्नी कमला पी.डब्ल्यू 4 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि 12.08.2010 की बात है। वह शिव शक्ति कालोनी घर के सभी लोग शास्त्री नगर गए हुए थे। घर से दिन में 09:30 बजे शास्त्री नगर गए थे। पीछे घर पर कोई नहीं था। ताला लगाकर गए थे। शाम को 06:30 बजे उनके पड़ोसी बद्री नारायण का फोन आया बाहर का लॉक लगा हुआ था और अंदर का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने आकर लॉक खोलकर देखा तो आलमारी का ताला टूटा हुआ था, सामान चोरी हो गया था। मंगल सूत्र, चार चूडियां, चार अंगूठियां, तीन कानों की जोडियां, एक कान की कनौती, पायजेबी की जोड़ी, बीस कलदार व 25,000 / – रूपये नकद व और छोटा मोटा सामान चोरी हो गया था। जेवरात सोने के थे। पायजेब व कलदार चांदी के थे। उक्त सामान पुलिस ने जब्त किया था, जो उन्होंने कोर्ट

से आदेश होने से थाने से प्राप्त किया था। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसे उसे पता नहीं कि चोरी का सामान किससे जप्त किया। इस प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल द्वारा दर्ज करवायी गयी। पी.डब्ल्यू 2 द्वारका प्रसाद की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि पवन कुमार सहित मकान नंबर प्लॉट नंबर 15 लोहा मंडी रोड पर रहते थे। वो उस दिन उनके यहां शास्त्रीनगर मिलने के लिए गए थे। उनके पीछे मकान में भीतर गेट था, ताला तोड़कर कुछ लोग सोने चांदी के जेवरात, नकदी आदि जिसमें चार चूडियां, अंगूठी, चांदी के पाजेब और 20 चांदी के सिक्के,, 25 हजार नकद थे ले गए। चोर पकड़े गये। माल की बरामदगी भी हो गई। कुछ माल उन्हें मिल गया पवन कुमार उसका पुत्र है। वह अपना सामान न्यायालय से ले लिया है अब घर पर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम एसआई के द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। गवाह पी.डब्ल्यू 3 अजीत सिंह ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 13.08.2010 को श्री राधेश्याम एसआई ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 उसके सामने तैयार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण में अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बरामदगी होना बताया। इस संबंध में यदि हम पी.डब्ल्यू 6 मनवीर ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 05.10.2010 को हरमाडा थाने पर कांस्टेबल कार्यरत था। उस दिन मुलजिम कन्हैयालाल उर्फ राकेश को गिरफतार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। 01. 10.2010 को अभियुक्त ललित उर्फ कालू व मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था, जिनकी फर्द प्रदर्श पी–7 व पी–8 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मंगल व ललित की निशादेही से नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दो जोडी पायजेब चांदी की बरामद की थी, जिनकी बरामदगी प्रदर्श पी–10 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.डब्ल्यू 7 मनीराम ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि पुलिए ने उसके सामने ललित, मंगल को गिरफ्तार

किया था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.डब्ल्यू 8 बच्चु सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 26.10.2010 को वह थाना हरमाड़ा में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु. नंबर 358/10 में मुलजिम मोनू उर्फ मोहन व विनोद को ईश्वर एएसआई ने गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी बनाई जो क्रमशः पी–12 व प्रदर्श पी–13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.डब्ल्यू 9 रामसिंह जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 05.10.2010 को थाना हरमाड़ा में कानि. के पद पर तेनात था। उस दिन मु. नंबर 358/2010 में मुलजिम कन्हैयालाल व राजेश को चाकसू से जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 श्री राधेश्याम एएसआई ने गिरफ्तार किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। कन्हैयालाल की दुकान से दो जोड़ी पायजेब चांदी की पुरानी इस्तेमाली जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 जब्त कर शील मोहर की थी। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श–11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि जप्तशुदा पायजेब की पहचान परिवादी ने नहीं की, बल्कि मुल्जिम ललित ने की थी। पायजेब जोड़ी पर कोई मार्का अंकित नहीं था तथा इस सुझाव को सही बताया कि मुल्जिम कन्हैयालाल की दुकान में इस तरह की पायजेब की जोड़ी और भी थी तथा पी.डब्ल्यू 10 धर्मवीर सिंह ने अपने शपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 24.11.2010 को थाना हरमाड़ा पर एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु. नंबर 358/2010 धारा 454, 380 भादस की पत्रा. आईओ श्री राधेश्याम एसआई द्वारा बाद अनुसंधान उसके समक्ष पेश की थी। पत्रा. में उसके द्वारा चालान आदेश मु. ललित, मंगलसिंह, विनोद कुमार, मोनू व कन्हैयालाल के खिलाफ अपराध धारा 454, 380, 120बी व 411 भादस में जुर्म प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में उक्त मु. के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

13. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से आयी सम्पूर्ण साक्ष्य का यदि एक साथ विश्लेषण किया जावें तो जहां तक अभियुक्त मोनू पर यह आरोप है कि **दिनांक 12.08.2010 को दिन में किसी समय अन्य अभियुक्तगण के साथ**

मिलकर परिवादी पवन खण्डेलवाल के मकान प्लाट नंबर 15/16 उषा कॉलोनी न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़ जयपुर में चोरी करने के आशय से गृह प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर उसके घर से सोने, चांदी के जेवरात तथा 25,000/– रुपये बिना परिवादी की सहमति के चोरी किये। यहां उल्लेखनीय है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पवन खण्डेलवाल पी.डब्ल्यू 5 के द्वारा दर्ज करवायी, जो पवन खण्डेलवाल अपनी साक्ष्य में बताता है कि दिनांक 12.08.2010 को वह अपने परिवार सहित ताला लगाकर शास्त्री नगर गया हुआ था। शाम को पड़ोसी बद्री ने फोन करके बताया कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। इस पर आकर देखा तो आलमारी का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सामान चोरी किया था। सोने का एक मंगलसूत्र, चार सोने की चुड़िया, अंगुठी, 25,000/– रुपये नगद थे, जो घर से चोरी हो गये थे। उसके बाद में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज करवायी थी। उसने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके घर आकर बनाया था तथा उनका सामान चाकसु के पास से किसी गांव से बरामद किया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–4, नक्शा मौका बरामदगी प्रदर्श पी–5 है। इसी तरह के कथन स्वयं पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल की पत्नी कमला खण्डेलवाल तथा उसके पिता पी.डब्ल्यू 2 द्वारका प्रसाद ने अपने साक्ष्य में किये हैं, जो यह बताते है कि पवन तथा उसकी पत्नी सहित शास्त्री नगर गये थे। उनके पीछे से घर का ताला तोड़कर कुछ लोग सोने चांदी के आभुषण तथा 25,000/– रुपये नगद निकालकर ले गये थे। यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी गवाह के द्वारा अभियुक्तगण को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल के द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम के फौत होने से उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया जा सका है। परन्तु उसके द्वारा मोनू उर्फ मोहन को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–12 गिरफ्तार किया गया, जिसकी ताईद पी.डब्ल्यू 8 बच्चु सिंह ने अपनी साक्ष्य में की है। परन्तु जो भी जेवरात वगैराह जप्त किये गये, वह अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 अभियुक्त ललित तथा मंगल के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर कन्हैयालाल के यहां से जप्त करना बताया है। अभियुक्त कन्हैयालाल

के यहां से मात्र दो जोड़ी पायजेब को बरामद करना बताया है तथा जरिये प्रदर्श पी–4 अभियुक्त कन्हैयालाल से प्राप्त धारा 27 की सूचना के अनुसरण में उसके वहां से 4 जोड़ी सोने की धातु जैसी, एक मंगलसूत्र सोने जैसी धातु का, 4 अंगुठी सोने जैसी धातु की, 3 जोड़ी कानो के टॉप्स, 20 सिक्के चांदी के, जिनके ऊपर गणेश, लक्ष्मी अंकित है। परन्तु इस प्रकरण में यह लिखा जाना उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम एएसआई के फौत होने से उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया जा सका। जिसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी। वह गवाह पी.डब्ल्यू 1 भंवर सिंह के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 13.08.2010 को वह पुलिस थाना हरमाडा पर एसआई पद पर तैनात था। उस दिन श्री पवन खंडेलवाल ने एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की थी। उस पर मुकदमा नंबर 358 / 2010, धारा 454, 380 आईपीसी दर्ज कर अनुसंधान एसआई श्री राधेश्याम के जिम्मे की थी। जिस पर कार्यवाही पुलिस ए से बी उसकी खुलकलमी है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पवन कुमार के हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एवं सी से डी पवन कुमार के हस्ताक्षर हैं तथा पी.डब्ल्यू 10 धर्मवीर सिंह, जिसके द्वारा इस प्रकरण में आरोप–पत्र पेश किया गया, परन्तु उक्त गवाहों से भी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला, जो अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम को दी गयी वह प्रदर्शित ही नहीं करवायी गयी। चूंकि उसी इत्तला के अनुसरण में अभियुक्त के पास से उक्त सामान बरामद हुआ है, जिसकी ताईद पी.डब्ल्यू 5 स्वयं पवन खण्डेलवाल के द्वारा अपनी साक्ष्य में की गयी है। इस प्रकरण में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शित नहीं हुई, परन्तु उसी इत्तला के आधार पर अभियुक्त कन्हैयालाल के पास से बरामदगी हुई है, परन्तु यदि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी का अवलोकन करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि **"Non-exhibition of the section 27 memo is not fatal if the recovery itself is proved by credible evidence."** प्रदर्शित नहीं होना केवल एक फॉर्म की कमी है, साक्ष्य की कमी नहीं है तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–4, जिसकी

ताईद स्वयं साक्षी पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल के द्वारा की गयी। पवन खण्डेलवाल अपनी साक्ष्य में बताता है कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण में उसके समक्ष अभियुक्तगण कन्हैयालाल के रिहाईसी घर वार्ड नंबर 17 कॉटखावदा मोड़ चाकसू के यहां से इस प्रकरण में परिवादी पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेलवाल के घर से चार चुड़ी सोने के धातु जैसी, एक मंगलसूत्र, चार अंगुठी सोने जैसी धातु की, एक जोड़ी सोने जैसी धातु की कनखती, तीन जोड़ी कानो के टॉपस सोने जैसी धातु के, बीस सिक्के चांदी जैसी धातु के जिन पर भी गणेश लक्ष्मी लिखा है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–4 पर ही कन्हैयालाल के हस्ताक्षर है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के पास से दो जोड़ी चांदी की पायजेब भी जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 जप्त हुई है, जिस पर भी स्वयं अभियुक्त कन्हैयालाल के हस्ताक्षर है। परिवादी की ओर से जब इस प्रकरण में जप्तशुदा जेवरात की सुपुर्दगी का प्रार्थना–पत्र पेश किया, तब अभियुक्त कन्हैयालाल की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं की गयी तथा न्यायालय में माल जो पी.डब्ल्यू 4 कमला खण्डेलवाल तथा पी.डब्ल्यू 5 पवन खण्डेवाल की साक्ष्य के दौरान माल पेश किया, जो– मंगलसुत्र आर्टिकल 1, सोने की चार चुड़िया आर्टिकल 2, चार अंगुठी आर्टिकल 3, तीन जोड़ी कानों के टॉप्स आर्टिकल 4, कान की कनोती एक जोड़ी आर्टिकल 5, दो जोड़ी पायजेब आर्टिकल 6 है। 19 चांदी के कलदार (सिक्के), आर्टिकल 7 है। अभियुक्त कन्हैयालाल के पास से उक्त आभुषण बरामद होना यह साबित करता है कि या तो उसने स्वयं ने आभुषण की चोरी की है या उक्त वस्तुओं के चोरी जानते हुए प्राप्त किया है। अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क कि पायजेब की जोड़ी पर कोई भी मार्का अंकित नहीं था। परन्तु अभियुक्त की ओर से यह तर्क कभी भी नहीं उठाया गया कि उक्त पायजेब की जोड़ी, उसके स्वयं की नहीं है। अभियुक्त के पास से इतनी ज्यादा मात्रा में आर्टिकल बरामद होना। जबकि अभियुक्त यह स्वयं जानता था कि यह चुरायी हुई सम्पत्ति है। धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास चुराये गया माल मिलता है तो यह माना जाएगा कि उसने स्वयं ने चोरी की है या संपत्ति को चोरी की जानते हुये अपने कब्जे में

रखा है। उक्त उपधारणा को अभियुक्त अपने साक्ष्य से नासाबित कर सकता है, परन्तु इस प्रकरण में अभियुक्त कन्हैयालाल की ओर से इस उपधारणा का भी खंडन नहीं किया गया है तथा अभियोजन ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह बखूबी साबित किया है कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने जेवरात तो चोरी किये थे जो अन्य अभियुक्तगण के द्वारा चुराये गये थे, उनको चोरी की जानते हुये बेईमानीपूर्वक अपने कब्जे में रखा। अतः 411 भारतीय दंड संहिता के आरो में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

14. जहां तक अभियुक्त मोनू उर्फ मोहन का प्रश्न है। इस प्रकरण में अभियुक्त के पास से न तो धारा 27 की इत्तला प्राप्त की गयी, न ही उसकी सूचना के अनुसरण में उसके पास से कोई माल बरामद हुई, न ही उसको किसी अन्य के द्वारा चोरी करते हुए देखा गया। लिहाजा अभियुक्त को धारा 380, 454, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश

15. एतद्द्वारा अभियुक्त **कन्हैयालाल पुत्र श्री कल्याण लाल, निवासी ग्राम कोटखावडा मोड़, पुलिस थाना चाकसू, जयपुर ग्रामीण** को धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त **मोनू पुत्र श्री कल्याण सहाय, निवासी प्रेमपुरा, पुलिस थाना लालसोट, हाल बैरवा कॉलोनी, पुलिस थाना सांगानेर** को धारा 380, 454, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. प्रकरण के अभियुक्तगण ललित व विनोद की तस्दीकशुदा फौतगी रिपोर्ट क्रमशः आदेशिका दिनांक 18.12.2024 व 06.03.2018 को पेश होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया–</u>

17. अभियुक्त **कन्हैयालाल** के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का प्रथम अपराध होना तथा वर्ष 2010 से अंवीक्षा भुगत रहा है अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया।

18. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाकर सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

19. तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का अनुशीलन किया। अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप साबित हुआ है। ऐसे प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध में निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित है –

<u>दण्डादेश</u>

20. एतद्द्वारा अभियुक्त **कन्हैयालाल पुत्र श्री कल्याण लाल, निवासी ग्राम कोटखावडा मोड़, पुलिस थाना चाकसू, जयपुर ग्रामीण** को धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्धि दोषसिद्धि में एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त 1 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

21. तद्नुसार सजा वारंट उपरोक्तानुसार मूर्तिब हो एवं निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

22. अभियुक्त की पूर्व में भोगी गई पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा मूल सजा से मुजरा की जावे।

23. अभियुक्त मंगल सिंह मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

23. निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं